भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3067
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

पेट्रोलियम भंडारों की क्षमता

†3067. श्री जुएल ओराम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पांच मिलियन बैरल पेट्रोलियम भंडारों का उपयोग कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोलियम भंडारों की अधिकतम क्षमता और उनकी वर्तमान भंडारण क्षमता का भंडार-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का भारत के पेट्रोलियम भंडारों में और अधिक वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): नवम्बर, 2021 में भारत सरकार अन्य बड़े वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के साथ परामर्श करके और उनके अनुसार अपने कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत हो गई थी।

(ग): भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन से बनाई गई कंपनी, नामत: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) के माध्यम से तीन स्थलों नामत: (i)विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), (ii)मंगलुरू (1.5 एमएमटी) और (iii)पादुर (2.5 एमएमटी) क्षमता पर कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की क्षमता वाली कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाओं की स्थापना की है। इनसे कच्चे तेल की लगभग 9.5 दिनों की जरूरत के लिए कच्चा तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा देश में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की 64.5 दिनों के लिए कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की सुविधाएं हैं। अत: वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों की है।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारों को बनाए रखने के स्तर परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और ये आपूर्ति तथा जारी करने का समय, उत्पाद स्लैट, मौसम, रिफाइनरी में तालाबंदियों, प्रतिबद्धता के तहत सौदों आदि जैसे अनेक घटकों के कारण अलग-अलग होते हैं।

(घ) और (ङ.): जुलाई, 2021 में सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर चंडीखोल (4 एमएमटी) और पादुर (2.5एमएमटी) में कुल 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता वाली 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक सुविधाओं की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था। सरकार और ओएमसीज तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर समय-समय पर भंडारण क्षमता बढ़ाने की संभावना का आकलन करती हैं।

***